[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं0 56/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. .... (अ)--केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के क्रमश: शीर्ष 8443 और शीर्ष 8517 के अधीन आने वाले मालों की वस्तुओं और उनके पुर्जों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची निम्नलिखित रीति में, संशोधित की जाएगी, अर्थात् :--

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के खंड 16 में,--

(i) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8443 32 90, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53 के सामने ; और

(ii) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8517 12 10, 8517 12 90, 8517 61 00, 8517 70 90 के सामने,

स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/20/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार